भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1915

दिनांक 07 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना

1915 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) पिछले पांच वर्षों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदनों की वर्तमान स्थिति और स्वीकृत, लंबित तथा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अस्वीकृत किए गए आवेदनों की कुल संख्या कितनी है और उनको अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 29.05.2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य उन बच्चों की सहायता करना है जिन्होंने 11 मार्च, 2020 से 5 मई, 2023 तक की अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का लक्ष्य बच्चों की निरंतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनका कल्याण सुनिश्चित करना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु होने पर उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना ऑनलाइन पोर्टल

.www.pmcaresforchildren.in के माध्यम से सुलभ है। इस योजना के तहत अब तक 4532 पात्र बच्चों को लाभ दिया गया है, जिसे **अनुलग्नक-I** में देखा जा सकता है। वर्ष 2021,2022,2023 और 2024 के दौरान जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अनुमोदित और उनके द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की राज्यवार संख्या क्रमशः **अनुलग्नक-II, अनुलग्नक-III, अनुलग्नक-IV और अनुलग्नक-V** में दी गई है।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की सहायता से लाभार्थियों की पहचान करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देते हैं। लाभार्थी की पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद, डीएम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर बच्चे के विवरण को सत्यापित और पुष्टि करते हैं।

इस योजना की पात्रता के तहत, बच्चे ने 11 मार्च, 2020 और 5 मई, 2023 के बीच कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता दोनों या जीवित माता/पिता या अभिभावकों में से किसी एक को खो दिया हो और इस प्रकार के नुकसान के समय उस बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

देश के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 613 जिलों से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर कुल 9331 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं जिनमें से 524 आवेदन डुप्लिकेट थे। इस प्रकार, जिला स्तरीय बाल कल्याण समितियों और संबंधित जिला कलेक्टरों (डीएम) द्वारा 8807 आवेदनों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों की अंतिम स्वीकृति के आधार पर 4532 लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है तथा 11 अन्य आवेदन लाभ जारी करने के लिए प्रक्रिया में हैं। शेष 4264 आवेदन संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा पात्र नहीं पाए गए। हालांकि, इस योजना के तहत पंजीकरण अभी भी खुला है ताकि कोई भी पात्र आवेदक पीछे न रहे।

यह मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत लाभ अंतरण के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित/अंतिम रूप दिए गए मामलों पर कार्रवाई करता है। केन्द्र सरकार के स्तर पर किसी भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अनुलग्नक -I

"पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा 07.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित लाभार्थी
1.	आंध्र प्रदेश	351
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	55
4.	बिहार	82
5.	चंडीगढ़	12
6.	छतीसगढ़	109
7.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	12
8.	दिल्ली	153
9.	गोवा	6
10.	गुजरात	227
11.	हरियाणा	95
12.	हिमाचल प्रदेश	25
13.	जम्मू और कश्मीर	18
14.	झारखंड	49
15.	कर्नाटक	231
16.	केरल	119
17.	मध्य प्रदेश	433
18.	महाराष्ट्र	855
19.	मणिपुर	21
20.	मेघालय	14
21.	मिजोरम	14
22.	नागालैंड	14
23.	ओडिशा	112
24.	पुदुचेरी	13

25.	पंजाब	42
26.	राजस्थान	210
27.	तमिलनाडु	426
28.	तेलंगाना	257
29.	उत्तराखंड	44
30.	उत्तर प्रदेश	467
31.	पश्चिम बंगाल	58
	कुल	**4532**

अनुलग्नक -II

"पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा 07.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2021

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित	जिला कलेक्टर द्वारा अस्वीकृत	डुप्लिकेट पाया गया
आंध्र प्रदेश	473	338	39	96
अरुणाचल प्रदेश	7	6	1	0
असम	81	53	12	16
बिहार	134	63	70	1
चंडीगढ़	12	12	0	0
छतीसगढ़	128	98	26	4
दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	13	12	1	0
दिल्ली	266	124	128	14
गोवा	7	5	2	0
गुजरात	338	213	104	21
हरियाणा	128	82	38	8
हिमाचल प्रदेश	28	24	0	4
जम्मू और कश्मीर	47	17	25	5
झारखंड	109	48	50	11
कर्नाटक	242	177	58	7
केरल	141	101	7	33
लक्षद्वीप	2	0	2	0
मध्य प्रदेश	732	392	328	12
महाराष्ट्र	1107	713	360	34
मणिपुर	34	20	14	0
मेघालय	9	9	0	0
मिजोरम	18	12	1	5

नागालैंड	23	14	5	4
ओडिशा	271	98	157	16
पुदुचेरी	18	10	0	8
पंजाब	56	37	12	7
राजस्थान	294	193	97	4
तमिलनाडु	477	330	56	91
तेलंगाना	288	237	50	1
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तराखंड	65	35	30	0
उत्तर प्रदेश	728	428	281	19
पश्चिम बंगाल	83	52	30	1
कुल	**6360**	**3953**	**1985**	**422**

अनुलग्नक -III

"पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2022

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित	जिला कलेक्टर द्वारा अस्वीकृत	डुप्लिकेट पाया गया
आंध्र प्रदेश	38	13	21	4
अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	0
असम	8	2	4	2
बिहार	49	10	39	0
चंडीगढ़	1	0	1	0
छतीसगढ़	20	11	7	2
दिल्ली	104	21	83	0
गोवा	1	1	0	0
गुजरात	39	10	27	2
हरियाणा	33	11	19	3
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	5	0	3	2
झारखंड	14	1	10	3
कर्नाटक	90	54	32	4
केरल	23	11	9	3
मध्य प्रदेश	98	37	60	1
महाराष्ट्र	388	128	250	10
मणिपुर	6	0	6	0
मेघालय	5	4	1	0
मिजोरम	16	2	14	0
नागालैंड	4	0	4	0
ओडिशा	67	10	50	7

पुदुचेरी	5	2	0	3
पंजाब	12	1	8	3
राजस्थान	1253	13	1236	4
तमिलनाडु	134	64	33	37
तेलंगाना	53	19	34	0
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तराखंड	19	9	10	0
उत्तर प्रदेश	248	13	232	3
पश्चिम बंगाल	18	5	11	2
कुल	**2754**	**454**	**2205**	**95**

अनुलग्नक -IV

"पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2023

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित	जिला कलेक्टर द्वारा अस्वीकृत	डुप्लिकेट पाया गया
बिहार	12	9	1	1
चंडीगढ़	1	0	0	0
दिल्ली	8	8	0	0
गुजरात	4	4	0	0
हरियाणा	6	2	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0
केरल	7	7	0	0
मध्य प्रदेश	69	4	65	0
महाराष्ट्र	16	14	1	0
मणिपुर	1	1	0	0
मेघालय	1	1	0	0
ओडिशा	4	4	0	0
पुदुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	4	4	0	0
राजस्थान	6	4	0	2
तमिलनाडु	36	32	2	2
तेलंगाना	1	1	0	0
त्रिपुरा	1	0	1	0
उत्तर प्रदेश	30	26	4	0
पश्चिम बंगाल	1	1	0	0
कुल	**211**	**125**	**74**	**5**

* वर्ष 2023 में पंजीकृत 7 आवेदन पाइपलाइन में है ।

अनुलग्नक -V

"पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1915 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2024

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित	जिला कलेक्टर द्वारा अस्वीकृत	डुप्लिकेट पाया गया
कर्नाटक	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	2	0	0	0
मेघालय	2	0	0	1
उत्तर प्रदेश	1	0	0	1
कुल	**6**	**0**	**0**	**2**

* वर्ष 2024 में पंजीकृत 4 आवेदन पाइपलाइन में हैं।